

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-48/2023  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1) (A) के अंतर्गत  
श्री लिनस मिंज--विक्रेता  
प्रति  
श्रीमती बेरोनिका कुजूर--क्रेता

:-आदेश:-

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री लिनस मिंज, पिता-स्व० बालदेव मिंज, ग्राम-बरगड़, पोस्ट-बरगड़, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती बेरोनिका कुजूर, पति-श्री अलबिनस मिंज, ग्राम-बरकोल खूर्द, पोस्ट-परसवार, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 215/दिनांक 09.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना गढ़वा एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री लिनस मिंज, पिता-स्व० बालदेव मिंज, ग्राम-बरगड़, पोस्ट-बरगड़, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती बेरोनिका कुजूर, पति-श्री अलबिनस मिंज, ग्राम-बरकोल खूर्द, पोस्ट-परसवार, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

-भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
बड़गड़	197	पुराना-117 नया-77	पुराना-1473 नया-1803	0.45	उ०-रास्ता, द०-तरसियुस तिर्की, पू०-पुलिकार तिर्की, प०-सुलेमान कुजूर,
कुल रकबा:-				0.45	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।

ह०/-

अपर समाहर्ता  
गढ़वा।

ह०/-

अपर समाहर्ता  
गढ़वा।

ज्ञापांक...563.../ दिनांक 16.05.23

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर समाहर्ता  
गढ़वा।